

# —:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230

E-mail: dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / ..... १५७०  
प्रात,

कवर्धा, दिनांक :— ५ / ०७ / २०२४

✓ ६८.  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू—प्रबंध / (सं. एवं सं.)  
छत्तीसगढ़

विषय :— कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network प्रा.लिमिटेड द्वारा 4G OFC Cable line Banjari to Bodla Village in Kawardha Division हेतु क्षेत्रफल ०.५३६ है. का व्यपवर्तन प्रस्ताव। (पंजीयन क्र. — FP/CG/OFC/154845/2022)

संदर्भ :— आपका पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध—ए/115—९१८/1461 दिनांक 19.06.2024।

————★★★————

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में प्रस्ताव में लगायी गई आपत्ति/त्रुटि में आवश्यक सुधार कर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :—

बिन्दु क्र.(01) प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 14 के चेक लिस्ट क्रमांक 03 में आरक्षित वन भूमि रकबा ०.४१४ है. तथा संरक्षित वनभूमि रकबा ०.३०५ है. लिपिकीय त्रुटिवश दर्शित हो गया था है जिसे आरक्षित वनभूमि रकबा ०.३४६ है. एवं संरक्षित वनभूमि रकबा ०.१९० है. कुल रकबा ०.५३६ है. सही है जिसमें आवश्यक सुधार करने का कष्ट करें।

बिन्दु क्र.(02) प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 36 एवं 37 में आवश्यक सुधार वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाना उचित होगा।

बिन्दु क्र.(03) प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 38 के प्रपत्र—३ (वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन) के बिन्दु क्रमांक 10 में उक्त प्रस्तावित आवेदित वनक्षेत्र अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं है, न ही आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

✓  
वनमंडलाधिकारी

कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक :— ५ / ०८ / २०२४

पृ.क्र./ तक.अधि. / ..... १५७१

प्रतिलिपि:-

✓ ६८. १.

मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. Telesonic Networks Limited. 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

✓  
वनमण्डलाधिकारी  
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

✓  
८८.

## प्रपत्र -03

वन संरक्षण अधिनियम ,1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर  
वन संरक्षक / व.ग.आ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	गहाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 है. प्रस्तावित हैं। जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 है., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 है. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 है.		
2	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (म.प्र.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.536 है.		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धा	बंजारी से बोडला
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण :-	वनखण्ड	कक्ष / खसरा	आवेदित रकबा (हे. मे)
			क्रमांक	
	क. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 60	0.056
		बंजारी	RF 61	0.112
		बंजारी	RF 63	0.008
		बंजारी	RF 64	0.017
		बंजारी	RF 65	0.153
		योग :-		<b>0.346</b>
	ख. संरक्षित वनभूमि	चोरमटी	PF 313	0.097
		बोडला	PF 315	0.093
		योग :-		<b>0.190</b>
	ग. राजस्व वनभूमि	—	—	<b>0.000</b>
		कुल योग :-		<b>0.536 ha.</b>
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट-ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।		
8	आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सामान्य है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी.ध्वन मार्ग आदि )से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें )	—		

10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर, बाड़ी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा रुपै 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का विन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।
11	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं किया गया है।

### प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :— परिक्षेत्र कवधि

दिनांक :— 05.10.2023

(सही / —)  
**चूड़ामणि सिंह**  
 (भा.व.से.)  
 वनमंडलाधिकारी  
 कवधि वनमंडल कवधि  
 जिला—कबीरधाम (छ0ग0)



**शशि कुमार**  
 (भा.व.से.)  
 वनमंडलाधिकारी  
 कवधि वनमंडल कवधि  
 जिला—कबीरधाम (छ0ग0)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी

महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोडला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 है. प्रस्तावित है जिसमें कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 है., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 है. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.536 है. वनभूमि का वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित वनक्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर प्रस्तावित नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है, परंतु प्रस्तावित वनक्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य क्षेत्र आता है।



  
वनमंडलाधिकारी  
कवर्धा वनमंडल कवर्धा  
जिला-कबीरधाम (छ0ग0)